संख्या-85/2021/ 2450 ई-2/तेरह-2021-1497348

प्रेषक,

निधि गुप्ता वत्स,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

विषयः-आबकारी विभाग के पुराने बकाए की वसूली हेतु प्रस्तावित "एकमुश्त समाधान योजना-2021" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-40/आठ-18ए/आडिट/एक मुश्त समाधान योजना/2020-21, दिनांक 10.09.2021 एवं पत्र संख्या-3320/आठ-18ए/आडिट/एक मुश्त समाधान योजना/2020-21, दिनांक 06.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त पत्रों के माध्यम से आप द्वारा अवगत करायी गयी स्थितिनुसार आबकारी विभाग के पुराने राजस्व बकायों की एक बड़ी धनराशि रू.5,391.28 लाख (लगभग) वसूली हेतु लम्बित है। इस बकाया धनराशि में दिनांक 31-03-2020 तक वसूलनीय बकाया रू.3,232.39 लाख, मा. न्यायालयों के आदेशों से स्थगित रू.1,583.10 लाख तथा राजस्व परित्यजन हेतु चिन्हित रू.575.79 लाख की धनराशि सम्मिलित है। कुल वसूलनीय बकाया रू.3,232.39 लाख में से दिनांक 31-03-2015 तक की बकाया धनराशि रू.2,980.27 लाख होती है जबकि दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2020 तक के बकाये की धनराशि रू.252.12 लाख है।

3. आबकारी विभाग के पुराने राजस्व बकायों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बकाये की वसूली के परिपेक्ष्य में बकायेदारों को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ''एकमुश्त समाधान योजना-2021'' निम्नानुसार स्वीकृत की जाती हैः-

उद्देश्य

(1) एकमुश्त समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आबकारी विभाग के पुराने बकाये की धनराशि की वसूली हो सके और राज्य सरकार को यह धनराशि प्राप्त हो सके।

(2) ऐसे बकायेदारों, जिनकी ब्याज की धनराशि मूल धनराशि से अधिक हो गयी है, जिसके कारण वह भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, को ब्याज के भुगतान में एकमुश्त राहत प्रदान करते हुये उन्हें बकाये की मूल धनराशि एवं बकाये की मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि को अदा कर बकाये से मुक्ति पाने का अवसर उपलब्ध हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>पात्रता</u>

इस योजनान्तर्गत ऐसा बकायेदार पात्र होगा, जो ''एकमुश्त समाधान योजना, 2021 '' से सहमत है तथा निर्धारित प्रारूप (जिसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा) पर उसके द्वारा आवेदन किया गया हो। इस योजनान्तर्गत-

(1) देशी/विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर ऐसे सभी अनुज्ञापनों से सम्बन्धित बकायेदार सम्मिलित होंगे, जिनका आबकारी राजस्व बकाया दिनांक 31-03-2015 अथवा उसके पूर्व उत्पन्न हुआ हो।

(2) ऐसे बकायेदार सम्मिलित होंगे जिनके पक्ष में व्यवस्थापन उपरान्त उनके द्वारा जमा करायी जाने वाली बिडमनी/वृक्षकर की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करायी गयी हो जिसके कारण बकाया उत्पन्न हो गया हो।

(बिडमनी/वृक्षकर का स्पष्टीकरण: बिडमनी का आशय भांग की फुटकर दुकान की नीलामी के द्वारा फुटकर बिक्री का एकान्तिक विशेषाधिकार लाईसेंस दिए जाने के प्रतिफल से है जिसमें लाईसेंस फीस एवं मूल लाईसेंस फीस समाविष्ट होगी। वृक्ष कर का आशय ताड़ी और खजूर के छेये गये वृक्षों पर टैक्स तथा विक्रय के विशेषाधिकार के लिए विक्रेता द्वारा भुगतान किए गये प्रति वृक्ष अधिभार या विक्रय फीस से है।**)**

(3) ऐसे बकायेदार सम्मिलित होंगे, जिनके पक्ष में अनुज्ञापन स्वीकृत कर दिया गया हो एवं अनुज्ञापी द्वारा कुछ समय दुकान का संचालन किया गया हो किन्तु किन्हीं कारणों से मध्य सत्र में दुकान छोड़ दिये जाने के कारण बकाया उत्पन्न हो गया हो।

(4) ऐसे सभी बकायेदार सम्मिलित होंगे, जिनके द्वारा निर्धारित मासिक कोटा (एम.जी.क्यू.) से कम/अधिक कोटा उठाने पर बकाया उत्पन्न हो गया हो।

(5) ऐसे सभी बकायेदार भी सम्मिलित होंगे, जिनका अनुज्ञापन निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप बकाया उत्पन्न हो गया है।

(6) ऐसे उपरोक्त सभी बकायेदार भी सम्मिलित होंगे, जिनके द्वारा मूलधन का पूरा भुगतान पूर्व में कर दिया गया है परन्तु ब्याज अंशतः या पूर्णतः भुगतान हेतु शेष है।

(7) ऐसे सभी देशी/विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर अनुज्ञापनों से सम्बन्धित बकायेदार, जिनके द्वारा बकाया धनराशि/ आर.सी. के विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है अथवा स्थगनादेश लिया गया है परन्तु यदि उनके द्वारा न्यायालय वाद को वापिस लिये जाने का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसे बकायेदार भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

<u>अपात्रता</u>

गबन, धोखाधडी के मामले तथा वित्तीय दुराशय के कारण उत्पन्न हुए बकायों के प्रकरण एकमुश्त समाधान योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुमन्य राहत

(1) देशी/विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, बार, भॉग एवं ताड़ी के फुटकर बकायेदार जिन पर बकाया मूलधन तथा उस पर आगणित ब्याज की धनराशि मूलधन से अधिक हो गयी है, के ब्याज की धनराशि को मूलधन की धनराशि के बराबर करते हुए एकमुश्त समझौता के अन्तर्गत देनदारी मानी जायेगी तथा मूलधन से अधिक ब्याज की धनराशि को माफ कर दिया जायेगा।

(2) ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा मूलधन की पूरी धनराशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तथा उन पर ब्याज की धनराशि आंशिक/पूर्णतः भुगतान हेतु शेष हो। ऐसे बकायेदारों के मामलों में ब्याज की अद्यतन गणना की जायेगी जो कि मूलधन से अधिक नहीं होगी। साथ ही पूर्व में जमा करायी गयी ब्याज की धनराशि को एकमुश्त समाधान योजना अन्तर्गत आगणित ब्याज में समायोजित कर दिया जाएगा।

(3) यदि किसी बकायेदार द्वारा पूर्व में ही मूलधन एवं मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि जमा करायी जा चुकी है तो ऐसे बकायों की वसूली इस योजना अन्तर्गत पूर्ण मानी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बकायेदार द्वारा इस योजना के लागू होने से पूर्व ब्याज की धनराशि मूल धनराशि से अधिक जमा करायी जा चुकी हो, ऐसी दशा में पूर्व में जमा किये गये ब्याज की वापसी नहीं होगी।

एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत बकाया धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया

''एकमुश्त समाधान योजना, 2021'' का लाभ लेने हेतु बकायेदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बकाया मूलधन एवं ब्याज की उपरोक्तानुसार गणना करते हुए सहमति पत्र बकायेदार को निर्गत किया जायेगा। सहमति पत्र के निर्गत होने के 30 दिनों के अन्तर्गत कुल आगणित धनराशि की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि बकायेदार द्वारा जमा करायी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि सहमति पत्र की तिथि से 60 दिनों के अन्दर जमा करा दी जायेगी। यदि बकायेदार चाहे तो प्रथम किस्त में ही मूलधन एवं मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि का भुगतान एकमुश्त कर सकता है।

समझौते का उल्लंघन

समझौते की शर्त के अनुसार प्रथम किस्त के प्रतिदान या दूसरी किस्त के प्रतिदान में चूक होने की दशा में समझौता रद्द माना जायेगा और समझौते के अनुसार अनुमन्य छूट समाप्त हो जायेगी और जो धनराशि एकमुश्त समझौते में प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की गयी है उसको बकाया धनराशि के मूलधन/ब्याज में समायोजित कर दिया जायेगा।

एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत स्वीकृति का अधिकार

इस योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन की अध्यक्षता में गठित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार (सदस्य) एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी (सदस्य सचिव) की समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>अन्य बिन्दु</u>

(1) बकाये के ऐसे मामले जिनमें बकाया धनराशि की वसूली हेतु आर.सी. निर्गत की जा चुकी है एवं वसूली प्रक्रियाधीन है, के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि एकमुश्त समाधान योजना अन्तर्गत वसूल होने वाली धनराशि के 10 प्रतिशत को निर्गत आर.सी. के सापेक्ष राजस्व विभाग के संग्रह शुल्क के रूप में दिया जाएगा तथा यह कार्यवाही केन्द्रीकृत रूप से आबकारी आयुक्त, उ.प्र. के स्तर से सुनिश्चित कराई जाएगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत निर्णित प्रकरणों को किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण आदि में पुनः चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(3) इस योजना अन्तर्गत जिन अनुज्ञापियों द्वारा मूलधन से अधिक ब्याज की कोई धनराशि इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व जमा करायी जा चुकी है, वापिस नहीं की जायेगी।

(4) इस योजना के अन्तर्गत जमा करायी गयी राशि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

(5) जिन प्रकरणों में सम्पूर्ण धनराशि एवं उसका ब्याज पूर्व में ही जमा करायी जा चुकी है उन्हें पुनः विचार करने हेतु उद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(6) पूर्व में आंशिक रूप से जमा करायी गयी धनराशियॉ पूर्व की देयताओं के विरूद्ध मानी जायेगी एवं शेष बकाया राशि पर ही यह योजना लागू होगी।

(7) यह योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेगी।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 31.03.2015 तक बकायेदारों पर बकाया धनराशि रू.2,980.27/- लाख के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत ''एकमुश्त समाधान योजना-2021'' को प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने एवं तदनुसार हुयी प्रगति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निधि गुप्ता वत्स)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।